

**न्यायालय-भास्कर मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
विविध आदेश
//संशोधित कार्य विभाजन आदेश//**

क्रमांक-क्यू-2/सी.जे.एम./2026

कांकेर, दिनांक 31-10-2026

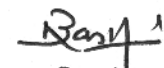
मैं, भास्कर मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1) एवं 15(2) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी किये गये संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक-06-08-2026 में आंशिक संशोधन करते हुए जन्म मृत्यु प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूं कि "स्तंभ क्रमांक 02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्हें आबंटित स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित थानों/आरक्षी केंद्रों के परिसीमा/क्षेत्राधिकार से उद्भूत जन्म मृत्यु प्रकरण जिनमें दो वर्ष से अधिक का विलंब है, का निराकरण करेंगे" न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य दाण्डिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करता हूं जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उ.ब. कांकेर (छ.ग.) के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा:-

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।


(भास्कर मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर

प्रतिलिपि:-

- 01- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 02- माननीय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 03- श्रीमती अम्बा शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/श्रीमती अंकिता तिगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर/श्री ध्रुवराज ग्वाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पखांजूर/श्री निखिल साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/सुश्री आयुषी शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/श्री हिमांशु चंद्राकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर/श्री मयंक ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांकेर, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04- कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05- पुलिस अधीक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, उ.ब. कांकेर को तत्संबंध में आवश्यक रूप से सूचित करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 06- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उ.ब. कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07- जिला अभियोजन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 08- कम्प्यूटर अनुभाग, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(भास्कर मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर बस्तर कांकेर